राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1605/2014

सीतारामा —**अपीलार्थी**

बनाम

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—**प्रत्यर्थीगण**

आदेश की दिनांक : 07.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी हैड कॉस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उन्होंने ए.एस.आई. के पद पर पदोन्नति हेतु डिपार्टमेंटल परीक्षा दी थी, जिसमें उन्हें गलत रूप से अनुत्तिर्ण किया गया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है। रिकॉर्ड से प्रकट है कि विभाग की परीक्षा में अपीलार्थी के एग्रीग्रेट में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किये थे। इस कारण से उन्हें अनुत्तीर्ण कर दिया गया है। अपीलार्थी को विभाग द्वारा अनुत्तिर्ण दिखाये जाने में कोई गलती नहीं रही है।
3. ऐसी स्थिति में इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।
4. प्रत्यर्थी विभाग को रिकॉर्ड वापस लौटाया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)

`